

FORM No. III

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर


उनवान सरकार जरिये पुलिस थाना आई.एम.टी. मानेसर जिला गुरुग्राम (हरियाणा)

बनाम सरकार जरिये थानाधिकारी गोविन्दगढ़

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/235/2023

दायर दिनांक 27.12.2023

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.01.2024	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र एच.सी. पुलिस थाना आई.एम.टी. मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा द्वारा पेश किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 0301/2023 केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाहन आईसर ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर HR55Y4118 जिसका इंजन नम्बर E413CDGE-087041 चेचिस नम्बर MC2F7HRCO GE117159 को जुर्म दफा आई.पी.सी. अधिनियम 1860 की 379 में चोरीशुदा वाहन चोरीशुदा वाहन आईसर ट्रक को अभियोग संख्या 398/2023 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 आर. बी. एक्ट के तहत थाना गोविन्दगढ़, जिला अलवर में बरामद की हुई है। जिसे पुलिस थाना एच.सी. पुलिस थाना आई.एम.टी. मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा को ट्रांसफर किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना गोविन्दगढ़ ने पत्रांक 2770 दिनांक 28.12.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा उक्त वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। जिसे विधिवत ट्रांसफर किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व रिपोर्ट पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जिला अलवर में जप्तशुदा वाहन आईसर ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर HR55Y4118 को थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ की अनापत्ति के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना एच.सी. पुलिस थाना आई.एम.टी. मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा को स्थानांतरित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


 जिला कलक्टर
 अलवर